

न्यायालय:- अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी0सी0 थपलियाल)

प्र0क्र0 16/2014 क्लेम

संस्थित दिनांक 14.02.2014

मूलचंद पुत्र श्रीपाल उम्र 40 वर्ष। जाति प्रजापति,
निवासी ग्राम मानगढ थाना रौन जिला भिण्ड
म0प्र0।आवेदक

बनाम

1. नीरज शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा निवासी
ए-2 प्रगति विहार कालोनी गोले का मंदिर
ग्वालियर।

.....वाहन स्वामी/अनावेदकगण

2. सूरज सिंह पुत्र श्री मुरारीलाल जाटव उम्र 24
साल निवासी लेदर फैक्ट्री के पास पुरानी
कालोनी मुरार ग्वालियर म.प्र.।

.....वाहन चालक

3. शाखा प्रबंधक दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी
लिमिटेड मण्डल कार्यालय सचिदेवा भवन स्टेशन
रोड ग्वालियर म.प्र.।

.....बीमाकंपनी/अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री एम0पी0एस0राणा अधिवक्ता ।

अनावेदक क्र0-1 पूर्व से एक पक्षीय।

अनावेदक क्र0-2 द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता।

अनावेदक क्र0-3 द्वारा श्री आर.के.वाजपेयी अधिवक्ता।

// अधि- निर्णय //

(आज दिनांक 24-04-2015 को घोषित किया गया)

01. आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 166 एवं सहपठित धारा 140 मोटर व्हीकल एक्ट का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है

जिसमें आवेदक के द्वारा इंडिका कार क्रमांक एच.आर. 17/4714 के चालक, स्वामी एवं बीमा कम्पनी के विरुद्ध उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को आई हुई उपहति के लिए 7,55,000/— रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने बावत् निवेदन किया गया है।

02. यह अविवादित है कि वाहन इंडिका कार एच.आर. 17/4714 का अनावेदक क्रमांक 1 स्वामी है जिसका कि अनावेदक क्रमांक 2 चालक है। उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित होना भी अविवादित है।

03. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 18.10.2007 को आवेदक अन्य व्यक्ति महेश की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 33-1493 के पीछे बैठकर भिण्ड की तरफ से ग्वालियर जा रहा था जैसे ही भदौरिया के पुरा के पास पहुँचा तभी ग्वालियर की तरफ से आ रही इंडिका कार क्रमांक एच.आर. 17/4714 के चालक के द्वारा उक्त वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया और जिस मोटरसाइकिल में आवेदक बैठा हुआ था उसमें टक्कर मार दी जिससे कि मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और आवेदक को काफी चोटें आ गई। दुर्घटना में उसके दाहिने पेर के नीचे जोइंट पर फ्रेक्चर हो गया और शरीर के अन्य भागों में भी चोटें आई। उक्त घटना की रिपोर्ट महेश के द्वारा जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था थाना मालनपुर में उसी दिन दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा वाहन क्रमांक एच.आर. 17/4714 के चालक के विरुद्ध अप.क्र. 129/07 धारा 279, 337 भा0दं0वि0 का दर्ज किया गया जिसमें कि एक्सरे रिपोर्ट आने पर धारा 338 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। उक्त वाहन की जप्ती की गई जिसे कि न्यायालय से उसके स्वामी के द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया। अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में संचालित है। घटना के बाद आवेदक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद उपचार के लिए ले जाया गया उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, गंभीर चोट होने से एक्सरे की सलाह दी गई। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर के लिए रिफर किया गया जहाँ कि आवेदक के द्वारा अपना इलाज कराया गया और एक्सरे परीक्षण कराया गया। आहत की चोट भंगीर प्रकृति की थी। उसकी दाएं टांग के घुटने के जोइंट की पटेला हड्डी में फ्रेक्चर हुआ था तथा ऊपरी राइट टीविया में भी फ्रेक्चर हुआ था। दुर्घटना में आई हुई चोटों से आवेदक को स्थाई अपंगता आ गई है। वह अपने काम सामान्य रूप से करने एवं चलने फिरने में असमर्थ है।

04. आवेदक जो कि दुर्घटना के समय 40 वर्षीय दृष्टपुष्ट व्यक्ति होकर खेती किसानी व मजदूरी का काम कर व दूध बैचने का काम कर आय अर्जित करता था जो कि कुल 90,000/— रूपए वार्षिक आय सभी श्रोतों से अर्जित कर लेता था। दुर्घटना के फलस्वरूप आई हुई चोटों से वह अपना कार्य करने में पूर्णतः असमर्थ हो गया है और वह अब

कोई आय अर्जित नहीं कर पा रहा है। इलाज के दौरान उसे दवाईयां क़य करनी पड़ी तथा पोष्टिक आहार का भी सेवन करना पड़ा तथा आने जाने में भी उसका व्यय हुआ तथा इलाज के दौरान अटेंडर भी रखना पड़ा। उपरोक्त दुर्घटना जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व के वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर कारित की गई। ऐसी दशा में उक्त दुर्घटना में आई हुई चोटों के फलस्वरूप 7,55,000/- रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने का निवेदन आवेदक के द्वारा किया गया है।

05. अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा अपने बचाव में आवेदक के आवेदनपत्र के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिकथनों को इंकार करते हुए अनावेदक क्रमांक 2 के उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक ढंग से वाहन चलाने से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होने से इंकार करते हुए आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा आवेदक के आवेदनपत्र के अभिकथनों को इंकार करते हुए उसके द्वारा आए अर्जित के संबंध में बताए गए तथ्यों और दुर्घटना के फलस्वरूप स्थाई अशक्तता आ जाने के तथ्य से इंकार करते हुए यह बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का प्रयोग प्राइवेट कार के रूप में किया गया था। इस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन होने से बीमा कम्पनी का दायित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त घटना दिनांक को कार के वाहन चालक के पास वाहन को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था जिस कारण भी बीमा कम्पनी की शर्तों का उल्लघन होने से इस आधार पर भी बीमा कम्पनी का कोई दायित्व प्रतिकर अदायगी हेतु नहीं है। दुर्घटना मोटरसाइकिल के चालक की तेजी और लापरवाही के द्वारा चलाए जाने से घटित हुई है। मोटरसाइकिल चालक के पास कोई भी वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसी दशा में आवेदक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. आवेदक एवं अनावेदकगण के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गई है जिनके समक्ष निकाले गए निष्कर्ष लेखबद्ध किए हैं—

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 18.10.07 को भदोरियन का पुरा भिण्ड ग्वालियर रोड पुलिस थाना मालनपुर में अनावेदक क्र. 2 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व के वाहन इंडिका कार क्रमांक एच.आर. 17-4714 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की?	

2	क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक को आई चोटों से स्थायी अपंगता कारित हुई?	
3	क्या घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन इंडिका कार क्रमांक एच.आर. 17-4714 को मोटरवाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलायी जा रही थी? यदि हाँ तो प्रभाव?	
4	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हाँ तो किस से एवं कितना कितना?	
5	सहायता एवं व्यय	

∴- निष्कर्ष के आधार-∴

विंदु क्रमांक 01 का सकारण निष्कर्ष:-

08. आवेदक मूलचंद आवेदक साक्षी क्रमांक 1 ने अपने साक्ष्य के दौरान आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए दिनांक 18.10.07 को भदोरियन पुरा के पास भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर में 11:30 बजे की घटना होना बताते हुए एक अन्य व्यक्ति महेश चौहान की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 33- 1493 के पीछे बैठकर भिण्ड से ग्वालियर की तरफ जा रहा था। तभी एक इंडिका कार क्रमांक एच.आर. 17-4714 के चालक सूरजसिंह के द्वारा उक्त वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई और उसके दाहिने पेर के घुटने की जोइंट में फ्रैक्चर हो गया और पटेला हड्डी में भी चोट आई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में की गई जिस पर से थाना में अपराध दर्ज किया गया और अभियोगपत्र अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया। उसका प्रारंभिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में हुआ था उसके बाद जे.ए.एच. अस्पताल में तथा प्राइवेट एस.एन हॉस्पिटल में भी

उसके द्वारा इलाज कराया गया था। आवेदक के द्वारा आपराधिक प्रकरण जो कि दुर्घटना के संबंध में न्यायालय में चल रहा है उससे प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई है जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2, घटना का नक्शा मौका प्र.पी. 3, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र. पी. 4 व 5, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6, मैकेनिकल जॉच रिपोर्ट प्र.पी. 7, एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी. 8, एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 9, वाहन सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 11, रिहाई आदेश प्र.पी. 10 तथा अंतिम प्रतिवेदन की प्रतिलिपि प्र.पी. 1 पेश की गई है।

09. प्रतिपरीक्षण में साक्षी को सुझाव दिए जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि उसकी कार से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि क्लेम पाने के लिए उसकी कार का झूठा नम्बर लिखवाया है। कार का नम्बर ध्यान न होना वह प्रतिपरीक्षण में बता रहा है, किन्तु यह स्वभाविक है कि दुर्घटना घटित होने के कई साल बाद साक्ष्य होने से नम्बर याद नहीं रहा हो। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 5 मिनट पश्चात् ही थाना मालनपुर में दर्ज कराई गई है जिसमें कि वाहन के नम्बर एच.आर. 17/4714 का स्पष्ट रूप से उल्लेख आया करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

10. उपरोक्त संबंध में आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी ज्ञानसिंह साक्षी क्रमांक 2 के द्वारा भी उसके पिता को इंडिका कार के द्वारा टक्कर मार देने तथा दाहिने पेर के घुटने के जोइंट में चोट आकर फ्रैक्चर होने और उन्हें गंभीर चोट आना अपने साक्ष्य कथन में बताया है। उक्त साक्षी यद्यपि घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था जैसा कि प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार किया है। घटना के बाद उसे घर पर मालूम चला कि घटना हो गई है। किन्तु निश्चित तौर से उक्त साक्षी जिसके द्वारा अपने पिता को घटना के पश्चात् चोटिल अवस्था में देखा गया और उसे यह पता चला कि उसके पिता को इंडिका कार के द्वारा टक्कर मारी गई है। इस बिन्दु पर उसके कथन से प्रकरण की सम्पुष्टि होती है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी सुरेश कुमार अ0सा0 3 भी उपरोक्त प्रकार का ही कथन किया है और उसे भी घटना के बाद में आवेदक/आहत के साथ दुर्घटना घटित होने और उसे चोट आने के बारे में पता चला है।

11. आवेदक मूलचंद जो कि घटना का आहत भी है के द्वारा दुर्घटना कारित करने के संबंध में उसके द्वारा किया गया कथन और उसे चोटें आने बावत् प्रकरण की सम्पुष्टि आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण जो कि दुर्घटना के संबंध में अनावेदक क्रमांक 2 वाहन के चालक के विरुद्ध रिपोर्ट की गई है उससे प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि से भी होती है जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वाहन क्रमांक एच.आर. 17-4714 के

चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलकार दुर्घटना कारित किये जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है। नक्शा मौका प्र.पी. 2 भी इस बात को दर्शाता है कि दुर्घटना आम रोड पर हुई है। प्रश्नाधीन वाहन की जप्ती प्र.पी. 4 के अनुसार की गई है और मोटरसाइकिल जिसमें आवेदक बैठकर जा रहा था उसकी जप्ती भी प्र.पी. 5 के अनुसार की गई है तथा आरोपी की गिरफ्तारी प्र.पी. 6 के अनुसार की गई है और वाहन की मैकेनिकल जाँच प्र.पी. 7 के अनुसार कराई गई है। मैकेनिकल रिपोर्ट में भी गाड़ी के सभी सिस्टम ठीक होना पाये गए हैं, किन्तु ड्राइवर साइट के सामने का मटगार्ड टूटा हुआ पाया गया है जो कि इस बात को दर्शाता है कि उक्त वाहन से दुर्घटना घटित हुई है। आवेदक मूलचंद की एम.एल.सी परीक्षण प्र.पी. 8 और एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 9 है जिसमें आवेदक को पटेला हड्डी में अस्थिभंग होना तथा टीविया हड्डी में भी अस्थिभंग होना पाया गया है। उक्त प्रश्नाधीन वाहन को आवेदक क्रमांक 1 जो कि वाहन का स्वामी है के द्वारा सुपुर्दगी पर लिया जाने का आदेश हुआ है और उसके द्वारा उसे सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया है जैसा कि प्र.पी. 10 और 11 के दस्तावेजों से स्पष्ट है। प्रकरण में आवेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा0दं0वि0 का अपराध विवेचना उपरांत अभियोजनपत्र न्यायालय में पेश किया गया है जो कि प्र.पी. 1 के अंतिम प्रतिवेदन से स्पष्ट है।

12. इस प्रकार आवेदक क्रमांक 2 के द्वारा तेजी और लापरवाही से घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन को चलाने के फलस्वरूप आवेदक को टक्कर मारकर उसे चोटें पहुँचाकर और चोटों के कारण आवेदक को गंभीर उपहति कारित होने का तथ्य आवेदक के द्वारा प्रमाणित कराया गया है।

13. आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जहाँ तक कि प्रश्नाधीन वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 2 के कथन भी उनकी ओर से नहीं कराए गए हैं जो कि दुर्घटना के संबंध में आवेदक के द्वारा बताए गए तथ्यों को प्रतिखण्डित कर सकते थे। इस संबंध में भी प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा था उसके चालक के द्वारा वाहन मोटरसाइकिल को उतावलेपन और उपेक्षा पूर्वक चलाकर चलाई जाकर दुर्घटना में कोई योगदान किया गया हो। इस प्रकार इस बिन्दु पर आवेदक पक्ष की ओर से किया गया कथन अखण्डनीय रहता है।

14. तदनुसार यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व की प्रश्नाधीन वाहन इंडिका कार को उसकी सहमति के आधार पर तेजी और लापरवाही से चलाते हुए आवेदक को टक्कर मारी जिससे

कि आवेदक को चोट होकर गंभीर उपहति कारित हुई। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 02:-

15. आवेदक की ओर से उपरोक्त दुर्घटना में आई हुई चोटों के फलस्वरूप उसे स्थाई असक्तता आने के संबंध में अभिकथन किया है। इस बिन्दु पर सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि आहत मूलचंद को उपरोक्त दुर्घटना में अस्थिभंग होकर गंभीर उपहति कारित हुई है, किन्तु मात्र गंभीर उपहति कारित होने के आधार पर स्थाई अशक्तता ओन का तयि प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जैसा कि इस संबंध में **कमल कुमार जैन वि० ताउज्जुदीन बगैरह 2004(2)एम.पी.एल.जे. पे. 472** में अभिधारित किया गया है। आवेदक के द्वारा उसे स्थाई अशक्तता आने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक के कथन भी नहीं कराए गए हैं जिससे कि दुर्घटना में आई हुई चोट के फलस्वरूप उसे गंभीर उपहति कारित होने की पुष्टि होती हो। इस प्रकार आवेदक को दुर्घटना में आई हुई चोटों के फलस्वरूप स्थाई अशक्तता होने के का तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 03:-

16. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन इंडिका कार बीमा पॉलसी एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लघन कर चलाई जा रही थी। किन्तु इस बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसी दशा में जबकि वर्तमान बिन्दु का प्रमाणन करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर था उसके द्वारा इस बिन्दु पर साक्ष्य पेश न करने की परिप्रेक्ष्य में वर्तमान बिन्दु प्रमाणित न होने से उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 04:-

17. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचन तथा वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा अनावेदक क्र.-1 के स्वामित्व के वाहन इंडिका कार क्रमांक-एच.आर.-17/4714 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करते हुए आवेदक मूलचन्द को गंभीर उपहति कारित की। उक्त प्रश्नाधीन वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्र.-3 बीमा कंपनी में बीमित होना पाया जाता है, जोकि बीमा पॉलिसी

प्रदर्श डी.-01 बीमा कंपनी के द्वारा पेश की गयी है, जिसे आवेदक के द्वारा स्वीकार किया गया है । इस प्रकार प्रश्नाधीन वाहन के द्वारा दुर्घटना कारित करने के परिपेक्ष्य में प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्र.-1 लगायत-03 का संयुक्त: एवं पृथक्: रूप से होगा ।

18. आवेदक को दुर्घटना के फलस्वरूप आई हुई चोटों के लिए प्रतिकर की राशि का जहां तक प्रश्न है, इस संबंध में आवेदक के द्वारा विभिन्न मदों में कुल 7,55,000/-रूपये प्रतिकर के स्वरूप प्राप्त करने का अधिकारी होना बताया गया है । इस संबंध सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को कोई स्थाई अपंगता होना प्रमाणित नहीं है । ऐसी दशा में स्थाई अशक्तता के संबंध में कोई भी प्रतिकर आवेदक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

19. दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को इलाज कराना पड़ा, उसका सर्वप्रथम इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में हुआ था और बाद में उसे जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर में भी इलाज हेतु भेजा गया था तथा आवेदक का इलाज एस0एम0 अस्पताल रिसर्च सेंटर ग्वालियर में भी होने के संबंध में भी बताया गया है । जे.ए. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ग्वालियर में दुर्घटना के पश्चात दिनांक-18/10/2007 से 06/11/2007 तक अर्थात् 19 दिन भर्ती रहा है, जो कि डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी.-12 से स्पष्ट होता है । इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा एस0एम0 अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर में भी इलाज कराया गया है, जोकि दि.-05/12/2007 से 10/12/2007 तक एस0एम0 अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती रहने बाबत प्रदर्श पी.-17 और पी.-18 के दस्तावेज आवेदक के द्वारा पेश किया गया है । आवेदक को उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप उसके दांये घुटने में पटेला हडडी के निचले भाग में अस्थि भंग होना तथा दांये पैर की टिबिनया के ऊपरी भाग में अस्थि भंग होना पाया गया है । जैसा कि इस संबंध में एक्सरा रिपोर्ट प्रदर्श पी.-09 से स्पष्ट है । इस प्रकार दुर्घटना में आवेदक की पटेला एवं टिबिया हडडी का अस्थि भंग हुआ था, जिस संबंध में उसका इलाज जे0एस0एच0 अस्पताल तथा एस0एम0 हॉस्पिटल ग्वालियर में चला है । आवेदक के द्वारा अपने इलाज में दो लाख रुपये खर्च होना, इसके अतिरिक्त पोष्टिक आहार, फल, दूध आदि का सेवन करना कहा था, जिसमें 90,000/-रूपये तथा उसकी दुर्घटना के फलस्वरूप आमदनी के नुकसान के मद में पांच लाख रुपये का नुकसान होना बताया है ।

20. सर्वप्रथम आवेदक के द्वारा उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आई हुई चोटों के इलाज में हुए खर्च का जहां तक प्रश्न है, आवेदक के द्वारा इलाज के संबंध में जो बिल पेश किए गये हैं, उन बिलों के संबंध में अनावेदक क्र.-3 बीमा कंपनी के अधिवक्ता के द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि बिलों में मरीज के रूप में आवेदक मूलचन्द के नाम का उल्लेख नहीं

है। ऐसी दशा में उक्त बिलों की राशि आवेदक की है, ऐसा नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में विचार किया गया एवं संबंधित बिलों को देखा गया, आवेदक जिसका नाम मूलचन्द है, यद्यपि मूलचन्द का नाम मरीज के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है । किन्तु अधिकांश बिलों में एस.एस.डी. और एस.के.एस. शॉर्ट में लिखा गया है । यद्यपि कुछ बिलों में अन्य नाम का भी उल्लेख है ।

21. आवेदक जिसे कि उक्त दुर्घटना के कारण पटेला एवं टीबिया हडडी में अस्थि भंग हुआ है और जो कि 19 दिन तक जे0एस0एच0 ग्वालियर भर्ती रहा है और उसके बाद एस0एम0 हॉस्पिटल में भी उसके द्वारा इलाज कराया गया है । निश्चित तौर से इतने लंबे इलाज के दौरान उसे दवाईयां बाहर से ही क्रय करनी पड़ी होगी और उसके इलाज में खर्च आया होगा, इसके अतिरिक्त इलाज के दौरान उसे आने जाने में व्यय आया होगा तथा लंबे इलाज के दौरान उसे पोष्टिक आहार का भी सेवन करना पड़ा होगा तथा इस दौरान शारीरिक व मानसिक कष्ट भी सहन करना पड़ा होगा । इस प्रकार उसके द्वारा प्रस्तुत बिलों की राशि सहित उक्त सभी मदों में प्रतिकर स्वरूप उसे 30,000/—रुपये की राशि दिलाई जाना उचित होगी ।

22. आवेदक के द्वारा यह बताया गया है कि वह विभिन्न स्रोतों से 90,000/—रुपये वार्षिक की आमदनी अर्जित कर लेता था । किन्तु आवेदक की वार्षिक आय 90,000/—रुपये आमदनी अर्जित कर लेता था, इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण उसकी ओर से पेश नहीं किया गया है, जिससे कि उक्त तथ्य की पुष्टि होती हो । ऐसी दशा में जबकि आवेदक की कोई निश्चित आय प्रमाणित नहीं है, और उसकी आयु 40 साल बतायी गयी है, प्रत्येक माह तीन हजार रुपये कमा लेता था, ऐसा माना जा सकता है । आवेदक उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप करीब 06 माह तक उक्त दुर्घटना में आयी चोटें एवं अस्थि भंग के कारण अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाया था, इस प्रकार उक्त छः माह की आमदनी के नुकसान की राशि उसे दिलाई जाना चाहिये, जो कि 18,000/—रुपये होती है ।

23. इस प्रकार आवेदक कुल 48,000/— [अड़तालीस हजार रुपये] प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना समुचित व युक्तियुक्त प्रतिकर होगा । उक्त प्रतिकर की राशि पर आवेदक दावा प्रस्तुति दिनांक से राशि वसूली दिनांक तक 06 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी है । प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्र.-1 लगायत-3 संयुक्त रूप से प्रथक-प्रथक होगा । तदनुसार आवेदक, अनावेदकगण से पचास हजार रुपये प्रतिकर राशि 06 प्रतिशत वार्षिक दर से पाने का अधिकारी पाया जाता है । उपरोक्तानुसार वादप्रश्नों का निराकरण किया जाता है ।

--::-- वादप्रश्न क्रमांक-5 सहायता एवं व्यय --::--

24 उक्त संपूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गये निष्कर्ष के उपरांत याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है

- 1- आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं प्रथक्तः 48,000/- अड़तालीस हजार रुपये प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- 2- आवेदक, उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी वसूली दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होगा।
- 3- उक्त प्रतिकर की राशि अदा होने पर उसे 60 प्रतिशत भाग आवेदक के नाम पांच वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा की जाये, शेष 40 प्रतिशत बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान किया जावे।
- 4- अभिभाषक शुल्क 1,000/-रुपये निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका तैयार हो।

अवार्ड खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0 थपलियाल)

अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0 थपलियाल)

अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड